न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 28/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
करणसिंह पुत्र अनाडसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अलाय तहसील व जिला नागौर		1ग्राम पंचायत अलाय जरिये सरपंच। 2नत्थाराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी ग्राम नया गांव 3रामचन्द्र पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी ग्राम नया गांव तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति–

1. श्री शफीक खिलजी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कन्हैयालाल सुथार, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 30.12.19

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अलाय द्वारा पत्रावली सं. 94/87 में पारित प्रस्ताव/आदेश दिनांक 15.05.88 की पालना में अप्रार्थी सं. 2 नत्थाराम के पक्ष में जारी पट्टा विलेख दिनांक 15.05.88 पट्टा सं. 5 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 09.03.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत अलाय की पत्रावली सं. 94/87 की फोटोप्रति, अप्रार्थी सं. 2 नत्थाराम के पक्ष में जारी किये गये पट्टे की फोटोप्रति, ग्राम अलाय की खतौनी संवत 2020 से 2033 तथा 2066 से 2039 की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी नागौर के पत्र क्रमांक 4826 की फोटोप्रति, जिला कलक्टर नागौर के आदेश दिनांक 26.12.75 की फोटोप्रति तथा जिला कलक्टर, नागौर के पत्र दिनांक 2.1.76 की फोटोप्रति पेश की तथा वकील अप्रार्थी सं.2 व 3 ने मौका रिपोर्ट दिनांक 12.03.15 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)– जिस भूमि पर पटटा जारी किया गया है। वह भूमि ग्राम अलाय के खसरा नं. 1263, 1264 गै.मु. नाडी व अंगोर (पायतन) भूमि है तथा कभी भी पंचायत की आबादी भूमि नही रही है। ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करने हेतु पारित किया गया प्रस्ताव प्रारंभ से ही नल एण्ड वोईड है। ऐसे मामलो मे मियाद लागू नही होती है तथा पंचायत राज अधिनियम मे पारित प्रस्तावो पर निगरानी किये जाने की स्थिति मे कोई मियाद निर्धारित भी नही है। ग्राम पंचायत अलाय की पत्रावली सं. 94/87 में प्रस्ताव/आदेश दिनांक 15.5.88 सर्वथा अवैध विधि विरूद्व तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2(2)– पत्रावली सं. 94/87 में पारित प्रस्ताव/आदेश दिनांक 15.05.88 बिना अधिकारिता (wihtout Juridiction) का होने एवं ग्राम पंचायत अलाय को ऐसा आदेश पारित करने की विधि में कोई शक्तियां निहित नही होने के कारण प्रस्ताव/आदेश दिनांक 15.5.88 अवैध एवं विधि विरूद्व है।

2(3)– अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष आवेदन पेश कर ग्राम अलाय के सामी नाडी की पाल पर स्थित अंगोर भूमि का पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर ग्राम पंचायत अलाय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अंगोर की भूमि का पट्टा विलेख अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया है। जो निरस्तनीय है।

2(4)– ग्राम पंचायत अलाय ने खसरा नं. 1264 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा पायतन/अंगोर की भूमि है तथा उक्त पाल के पास सामी नाडी खसरा नं. 1263 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में आई हुई है और इस नाडी के चारों तरफ खसरा नं. 1264 नाडी की पायदान/अंगोर का रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा आया हुआ है। नाडी की पायदान की भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत अलाय को किसी भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 के प्रस्ताव दिनांक 15.5.88 को निरस्त किया जाकर उक्त प्रस्ताव/आदेश की पालना में जारी पट्टा विलेख को भी निरस्त किया जाना चाहिये।

2(5)– ग्राम पंचायत अलाय ने अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया है। वह भूमि ग्राम पंचायत अलाय के अधीन नही थी और न ही राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि को ग्राम पंचायत अलाय को आवंटित ही की। इस प्रकार ग्राम पंचायत अलाय ने बिना हक अधिकार के जो भूमि उसकी अधिकारिता में निहित ही नही करती थी। उस भूमि का पट्टा विलेख जारी कर गलती की है।

अपर कलक्टर, नागौर

2(6)– ग्राम अलाय के खसरा नं. 1263 का रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा गै.मु. नाडी दर्ज है और इस नाडी के चारों तरफ खसरा नं. 1264 का रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा पायतन/अंगोर दर्ज है तथा ग्राम पंचायत ने दिनांक 15.5.88 को पट्टा विलेख अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया है। उसके पश्चिमी तरफ सामी नाडी की पाल होना अंकित किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि खसरा नं. 1263/1264 के अधीन थी और ऐसी अंगोर भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत को जारी करने का हक नही था। इस प्राकर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है तथा अप्रार्थी सं. 2 ने बिना हक अधिकार के होते हुए दिनांक 8.12.14 को अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड बख्सीस नामा निष्पादित किया। जो अवैध एवं विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

2(7)– अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत अलाय ने उक्त प्रस्ताव/आदेश दिनांक 15.5.88 को पारित करने से पूर्व राज. पंचायत अधिनियम 1994 में उल्लेखित प्रावधानों की अवहेलना करते हुए विधिविरूद्व पारित किया है तथा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानो की पूर्णतः पालना नही की है। न ही कोई विज्ञप्ति जारी की है, न ही नोटिस की विधिसम्मत तामील की है एवं पंचो की रिपोर्ट नही ली गई है। यहां तक कि खुली जमीन का 300 मीटर से ज्यादा का पटटा नियमो मे विहित सीमा से अधिक का जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है।

2(8)– उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 द्वारा कोई सूचना नोटिस विधिवत तरीके से जारी न सार्वजनिक रूप से कोई आपत्ति प्रकाशित करवाई। मात्र कार्यालय में बैठकर खानापूर्ति कर विधिविरूद्व रूप से पट्टा विलेख जारी किया।

2(9)– ग्राम अलाय के खसरा नं. 1264 की भूमि राजस्व रेकर्ड में पायतन/अंगोर दर्ज है। अंगोर की भूमि का कोई पट्टा जारी नही किया जा सकता। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय अब्दुल रहमान वर्सेज राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों अन्तर्गत अंगोर भूमि का पट्टा अवैध एवं विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

2(10)– वकील निगरानीकार का यह भी तर्क रहा है कि ग्राम अलाय के खसरा नं. 1264 रकबा 22.06 बीघा मे से 1.12 बीघा भूमि दिनांक 26.12.75 को आबादी हेतु परिवर्तन की गई थी। प्रथम तो यह भूमि पानी का बहाव क्षेत्र होने से अब्दुल रहमान मामले से प्रभावित भूमि होते हुए आबादी हेतु परिवर्तन किया ही नही जा सकता था तथा जिस जगह का पटटा दिया गया है। वो नाडी का ही भूभाग है। जो पटटे मे दर्शाये अडोस पडोस से भी स्पष्ट होता है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 12.03.15 मे विवादित भूमि आबादी क्षेत्र का भाग हो, ऐसा कही भी स्पष्ट नही है। इससे भी यह भूमि गै.मु. अंगोर का ही भूभाग होना ही प्रकट करती है तथा आबादी क्षेत्र के अन्य भूभाग पर पटटा दिये जाने हेतु ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआटी 2005(1) पेज 60, आरएलडब्लू 2015(2) पेज 1431, आरएलडब्लू 2014(1) पेज 560 नजीरे प्रस्तुत की गई है।

3– वकील अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि –

3(1)– पंचायत राज अधिनियम के तहत पटटा जारी करने की शक्तियां ग्राम पंचायत को निहित है तथा पटटा जैर निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा निहित शक्तियो के अन्तर्गत ही जारी किया गया है। जिससे प्रारंभ से ही नल एण्ड वोईड नही माना जा सकता है। पंचायत निगरानी के मामलो मे मियाद का बिन्दु लागू होता है तथा बिना कारण दिये देरी से निगरानी प्रस्तुत नही की जा सकती है। निगरानीकार द्वारा पटटा दिनांक 15.05.88 के विरूद्व निगरानी 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो अत्यधिक देरी से प्रस्तुत की गई है। जिससे मियाद के आधार पर निगरानी चलने योग्य नही है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2008(1) पेज 8, आरआरटी 2002(1) पेज 434, आरएलडब्लू 2005(2) पेज 1026 तथा आरआरटी 2015(2) पेज 967 नजीरे प्रस्तुत की गई है।

3(2)– जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रमांक प 12(126)/राजस्व/75/6171 दिनांक 26.12.75 के द्वारा ग्राम अलाय के खसरा नं. 1264 मे से 2700 वर्गगज यानि 1.12 बीघा भूमि ग्राम पंचायत को आबादी के लिये आंवटित की गई है। जिसके नये खसरा नं. 1264/1 रकबा 1.12 बीघा गै.मु. आबादी के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुए। इसी आबादी वाले क्षेत्र मे स्कूल आदि के लिये भी भूमि आवंटन हुई है तथा अप्रार्थी का कब्जासुद पटटा से संबंधित भूमि आबादी क्षेत्र मे है तथा आबादी क्षेत्र मे पटटा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत को अधिकारिता है। ग्राम पंचायत द्वारा 333.33 वर्गगज का जारी किया गया है। नये पंचायत राज अधिनियम के तहत 300 वर्गगज का तक का ही पटटा जारी किया जा सकता है। जबकि उक्त पटटा पुराने पंचायत राज अधिनियम 1961 के अन्तर्गत जारी किया गया है। जिसमे कोई क्षेत्र की सीमा नही होने से पटटा विधिसम्मत जारी हुआ है।

3(3)– वकील अप्रार्थी द्वारा आगे तर्क दिया गया कि पंचायत द्वारा जारी पटटा पंजीबद्व हो चुका है। जिसको निरस्त करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही होकर सिविल न्यायालय को है। जिससे निगरानी चलने योग्य नही है।

3(4)– अप्रार्थी के पक्ष मे जारी किया गया पटटा आबादी भूमि मे स्थित है तथा उक्त आबादी भूमि पूर्व मे अंगोर / पायतन भूमि रही है। जिसको लेकर यदि आपत्ति हो तो आबादी परिवर्तन से संबंधित आदेश को चेलेन्ज किया जाना चाहिये। पंचायत राज अधिनियम के तहत निगरानी मे अंगौर भूमि से संबंधित भूमि का मुददा तय नही किया जा सकता है। इसलिये निगरानी निरस्तनीय है।

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

4– वकील निगरानीकर्ता ने अप्रार्थी की बहस का जवाब देते हुए बताया कि उन्होने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की है। पटटा पंजीबद्व होने अथवा नही होने का इस पर कोई प्रभाव नही रहता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 12.03.15 मे विवादित पटटे की भूमि आबादी का ही भूभाग हो, ऐसा स्पष्ट नही है। जबकि पटटे मे पडोस नाडी दर्शाये जाने से यह भूमि गै.मु. नाडी का ही भू भाग है। जो अब्दुल रहमान वाले प्रकरण से प्रभावित है। इसलिये पटटा जैर निगरानी निरस्त किया जाना चाहिये।

5– पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत अलाय की पत्रावली सं. 94/87 मे पारित प्रस्ताव / आदेश दिनांक 15.05.88 की पालना मे अप्रार्थी सं. 2 नथाराम पुत्र प्रहलादराम के पक्ष मे जारी पटटा सं. 5 दिनांक 15.05.88 को निरस्त करवाये जाने को लेकर यह निगरानी राज. पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी निगरानीकर्ता ने आराजी भूमि नाडी / अंगोर भूमि का भूभाग होना बताया है। जबकि अप्रार्थी ने ग्राम अलाय के खसरा नं. 1264 गै.मु. आबादी भूमि अंगोर / पायतन भूमि से आबादी मे परिवर्तन होना बताया। अब प्रश्न यह है कि क्या इस निगरानी मे यह तय हो सकता है कि वर्तमान मे आबादी मे दर्ज भूमि जो कि पूर्व मे आबादी हेतु अंगोर / पायतन मे से आंवटित हुई हो, तो इस बिन्दु को निगरानी मे निर्णीत किया जा सकता है अथवा नही? चूंकि वर्तमान रेकर्ड मे आबादी दर्ज भूमि चाहे वो पहले अंगोर या पायतन भूमि रही हो, उसे पंचायत निगरानी मे अंगोर / पायतन होना निर्धारित नही किया जा सकता है। रिकार्ड पर प्रस्तुत जिला कलक्टर नागौर का आदेश दिनांक 26.12.75 के अनुसार ग्राम अलाय के खसरा नं. 1264 पायतन मे से 2700 वर्गगज भूमि राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आंवटन हेतु आबादी मे परिवर्तन किया गया है। यदि पायतन / अंगोर भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार मामले से प्रभावित है तो प्रार्थी को आबादी परिवर्तन से संबंधित आदेश को सक्षम न्यायालय मे चेलेन्ज करना चाहिये था। ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करने से पूर्व विधिवत सूचना पत्र जारी करना, पंचो की रिपोर्ट लिया जाना व पत्रावली संधारित किया जाना ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पत्रावली सं. 94/87 मे उपलब्ध अभिलेख सूचना पत्र, निरीक्षण प्रपत्र से प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

7– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान